

स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की संरचना और  
कार्यों का विवेचना करें।

स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका को संघीय सभा  
कहते हैं। निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद तथा उच्च सदन को  
राज्य परिषद कहा जाता है।  
स्विस संघीय सभा की विशेषताएँ---

स्विस संविधान के अनुच्छेद-71 में स्विस संघीय सभा की  
दो मौलिक विशेषताओं की चर्चा की गयी है--

1. सर्वोच्चता तथा 2. द्वि-सदनात्मकता।

1. सर्वोच्चता ---इसमें संघीय सभा की सर्वोच्चता  
है। यह स्विस जनता तथा कैण्टनों के अधिकारों को  
छोड़कर संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करती है।  
जनता को छोड़कर इसके द्वारा निर्मित विधि पर कोई  
आपत्ति नहीं करता है। अमेरिका में न्यायपालिका को  
विधियों की समीक्षा का अधिकार है, लेकिन संघीय सभा  
द्वारा पारित विधियों को न्यायपालिका से ऊपर रखा गया  
है। कैण्टन के कानून से संघीय कानून की उच्च स्थिति भी  
संघीय विधानमण्डल की सर्वोच्चता का प्रतीक है।

2. द्वि-सदनात्मकता--संघीय सभा की द्वि-सदनात्मकता  
संविधान निर्माताओं की देन है। यह बताया गया कि संघीय  
सभा के दो सदन हैं-प्रथम राष्ट्रीय परिषद और द्वितीय  
राज्य परिषद। भारतीय लोकसभा और अमेरिकी प्रतिनिधि  
सभा की तरह ही राष्ट्रीय परिषद विधानमण्डल का  
लोकप्रिय सदन है, जिसके सदस्य स्विस जनता द्वारा  
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्य परिषद अमेरिकी  
सीनेट की तरह ही उच्च सदन है, जिसमें प्रत्येक कैण्टन के  
दो तथा प्रत्येक अर्ध कैण्टन के एक प्रतिनिधि रहते हैं। इस  
प्रकार स्विस राज्य परिषद के गठन का आधार अमेरिकी  
सीनेट के सदृश कैण्टनों की समानता का सिद्धन्त है।

संघीय सभा का गठन----

भारतीय संसद ब्रिटिश  
पार्लियामेंट और अमेरिकी कांग्रेस की तरह ही स्विस  
संघीय सभा का संगठन राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद  
के संयोग से होता है। यहाँ संघीय सभा के इन दोनों सदनों  
की संक्षिप्त विवेचना----

1. राज्य परिषद-----स्विस संघीय सभा का उच्च या  
द्वितीय सदन है। यह निम्न सदन का अशीनस्थ नहीं बरन्  
समकक्ष है। यह संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है।  
यह भारतीय राज्यसभा के समकक्ष है। इसमें कैण्टनों को  
समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है चाहे उनका क्षेत्रफल  
और जनसंख्या कितना भी हो। इसकी कुल सदस्य संख्या  
44 है। यदि कोई व्यक्ति किसी कैण्टन से राज्य परिषद का  
सदस्य होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह  
उस कैण्टन का नागरिक हो। इसकी बैठकें वर्ष में चार बार  
राष्ट्रीय परिषद के साथ होती हैं। इसका एक अध्यक्ष और  
उपाध्यक्ष होता है। राज्य परिषद की स्थिति ब्रिटिश लार्ड  
सभा से बहुत अच्छी है किन्तु अमेरिकी सीनेट का  
मुकाबला नहीं कर सकती।

2. राष्ट्रीय परिषद या सभा ---- यह संघीय विधानमंडल का  
लोकप्रिय या निम्न सदन है। यह भारतीय लोकसभा,  
ब्रिटिश कामन सभा और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के  
तुल्य है। प्रति 24 हजार की जनसंख्या पर इस सभा के  
लिए एक प्रतिनिधि बन जाता है। इसकी सदस्य संख्या  
200 है। प्रत्येक कैण्टन या अर्धकैण्टन एक निर्वाचन क्षेत्र  
है। इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद स्विट्जरलैंड की एक जनप्रिय  
सदन है जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट  
भूमिका निभाती है।

संघीय सभा के कार्य एवं अधिकार

संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग  
संघीय सभा करती है। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के दोनों  
सदनों को एक समान शक्तियाँ दी गई हैं। सभी शक्तियों का  
प्रयोग दोनों सदन समान रूप से करते हैं। जुरवर ने इस  
सम्बन्ध में लिखा है कि विश्व में ऐसी बहुत कम संसदे हैं जो  
स्विस संघीय सभा जैसी कार्य करती हों। संविधान में संघीय  
सभा को निम्न कार्य सौंपे गए हैं---

1. विधायिका शक्तियाँ
2. कार्यपालिका शक्तियाँ
3. वित्तीय शक्तियाँ
4. न्यायिक शक्तियाँ
5. संविधान में संशोधन।

संघीय सभा की स्थिति-----

उपर्युक्त तथ्यों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि स्विस  
संघीय सभा की स्थिति अनोखी है। रिपर्ट ने कहा है कि-जब  
कोई संघीय सभा की इन शक्तियों की विभिन्नता और  
सम्पदा पर विचार करता है तो उसे संविधान का यह वाक्य  
उचित ही प्रतीत होता है कि संघ की सर्वोच्च शक्ति का भी  
उपयोग संघीय सभा करती है। संभवतः ब्रिटिश  
व्यवस्थापिका के बाद शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से  
स्विस संघीय सभा का ही स्थान आता है। अमेरिकी संसद  
उसकी तुलना में गौण है।

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि  
स्विस संघीय सभा को अन्य देशों के विधानमण्डलों की  
तरह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। स्विस जनता के अधिकार, स्विस  
कैण्टनों के अधिकार तथा संविधान द्वारा अन्य संघीय  
प्राधिकारियों को सौंपे गये अधिकार संघीय सभा पर  
प्रतिबन्धित की तरह हैं। स्विस शासन प्रणाली में संसदीय  
सम्प्रभुता के स्थान पर सार्वजनिक सम्प्रभुता को उच्च  
स्थान प्रदान किया गया है। जनमत संग्रह द्वारा जनसत्ता  
स्वयं वैधानिक तथा सार्वजनिक कार्य में सक्रिय भाग लेती  
है। फिर भी आज यह देखने को मिलती है कि हर देश में  
जहाँ कार्यपालिका शक्तियों में लगातार बृद्धि हो रही है  
वहाँ स्विस विधायिका की शक्तियाँ तुलना में उतनी ही कम  
होती जा रही हैं। कौंसिल के इस कथन में काफी सत्यता  
दिखती है कि स्विस संसद को वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है  
जिसकी कल्पना स्विस संघीय सभा एक प्रशासकीय  
व्यवस्थापिका है, जैसा कि लार्ड ब्राइस ने कहा  
कि- 'स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बड़ी मेहनत और निष्ठा  
से कार्य करनेवाली संस्था है।'

आगे, धन्यवाद।